शासन से संबंधित/महत्वपूर्ण

पत्र सं0- जनसूचना -ऑनलाइन वेब पोर्टल सामान्य निर्देश पत्रावली- (2024-25)/ 756 / राज्य कर

प्रेषक :

आयुक्त , राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में :

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(जनसूचना अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक 14 अगस्त, 2024

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों/ प्रथम अपीलों का समयान्तर्गत निस्तारण किये जाने/नामित जनसूचना अधिकारियोंका विवरण अद्यतन किए जाने एवं वेब पोर्टल का प्रचार-प्रसार किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया मा0 प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-सी0एम0-27(1)/43-2-2024 दिनांक 08.08.2024, पत्र संख्या-सी0एम0-27/43-2-2024 दिनांक 08.08.2024, पत्र संख्या-सी0एम0-37/43-2-2024 दिनांक 08.08.2024 एवं पत्र संख्या-सी0एम0-23/43-2-2024 दिनांक 09.08.2024 (छायाप्रति संलग्नकों सहित) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा RTI ऑनलाइन वेब पोर्टल के प्रभावी संचालन की समीक्षा शासन स्तर पर दिनांक 31 जुलाई, 2024 को की गई, जिसमें पाया गया कि वाणिज्य कर विभाग/कार्यालय में उक्त पोर्टल पर डिफॉल्टर (30 दिवस से अधिक लम्बित) जनसूचना आवेदनों अथवा अपीलों की संख्या मासिक प्राप्ति के औसत के सापेक्ष 50 प्रतिशत से अधिक है ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नही आई है । ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वेब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है ।

उपर्युक्त स्थिति के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि :-

समस्त जनसूचना अधिकारी उक्त पोर्टल पर प्राप्त हो रहे ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें ।

नियमानुसार अद्यतन कार्य प्रारम्भ नही करने वाले जनसूचना अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के कारण नोडल/ जनसूचना अधिकारी के परिवर्तित होने पर नवीन अधिकारी की सूचना तत्काल पोर्टल पर उपलब्ध मैन्यू UPDATE PIO DETAILS में अपडेट की जाए ।

पूर्व वर्षो में (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक) ऑफलाइन प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों की सूचना पोर्टल पर निर्मित मैन्यू OFFLINE RTI DATA में तत्काल अंकित की जाए तथा वर्तमान वर्ष में भी प्रत्येक माह प्राप्त हो रहे आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों की सूचना पोर्टल पर नियमित रुप से मासिक आधार पर अपडेट की जाए ।

अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों (PIOs) को निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनो का उत्तर /सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रुप में अनिवार्य रुप से अंकित किया जाए **"उ0प्र0 में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/ प्रथम अपीलों**

श्रीमती पूर्णिमा 16/8/24
DC (IT)
16/08/24

---2 पर

...ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल **https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन /प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते है। "**

वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर विभाग के मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों के समक्ष ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने हेतु आवेदको को सम्बन्धित विभाग के निदेशालय स्तर पर नामित समन्वय (नोडल) जनसूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन करना होता है। तत्पश्चात नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों/प्रथम अपीलों को अपने अधीनस्थ जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अग्रसारित किया जाता है। इस व्यवस्था के दृष्टिगत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/प्रथम अपीलो को मण्डल/जनपद स्तर पर नामित जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों तक पहुॅचने में अधिक समय लगता है जिस कारण आवेदको तक सूचना निर्धारित समयावधि में नही पहुंच पा रही है तथा निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारियों पर अनावश्यक कार्य की अधिकता भी हो रही है। तत्क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए है कि ऐसी व्यवस्था की जाए की आवेदकों द्वारा उक्त पोर्टल पर सीधे मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर नामित जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकें।

ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल सम्बन्धी किसी भी कठिनाई के निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के दूरभाष क्रमांक- 0522-7118629 (कार्यालय अवधि में) तथा ईमेल आई.डी. ard092156@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थ जनसूचना /प्रथम अपीलीय अधिकारियो एवं जोन में तैनात अन्य अधिकारियों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें कि वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायें तथा शासन के उक्त निदेशो का पालन अक्षरशः किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं आपके जोन में तैनात जनसूचना अधिकारियों/ अपीलीय अधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के कारण जनसूचना अधिकारी के परिवर्तित होने पर नवीन अधिकारी की सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि सूचना को अपडेट किया जा सकें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ए0के0श्रीवास्तव)
संयुक्त आयुक्त (जनसूचना)
राज्य कर , मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0प0संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को शासन के उपर्युक्त पत्रों की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0)राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को शासन के उपर्युक्त पत्रों की छायाप्रतियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

3-जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी, राज्य कर (पूर्व विभाग मनोरंजन कर) 8वां तल जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ को शासन के उपर्युक्त पत्रों की छायाप्रतियां इस आशय के साथ प्रेषित कि वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार- प्रसार किया जायें तथा शासन की मंशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

संयुक्त आयुक्त (जनसूचना)
राज्य कर , मुख्यालय, लखनऊ।

संख्या-सी०एम०-27(1)/43-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

प्राप्ति क्रमांक 23
दिनांक 13/08/24
पदनाम प्र०अ०-I
संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त (पी०आई०ओ०)

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 08 अगस्त, 2024

विषय- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों हेतु विकसित किए गए वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर पूर्व वर्षों में (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक) तथा वर्तमान वर्ष में भी प्रत्येक माह ऑफलाइन प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों की सूचना अंकित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र सं०-864/चौंतीस-लो०शि०अनुभाग-5/2024, दिनांक 01 अगस्त, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। आर०टी०आई० वेब पोर्टल के प्रभावी संचालन हेतु उच्च स्तरीय समीक्षा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को की गई। समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि नागरिकों द्वारा पूर्व वर्षों में (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक) ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों की संख्या पोर्टल के निर्मित नवीन मैन्यू OFFLINE RTI DATA पर नहीं अपलोड की गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के क्रियाशील होने के पश्चात ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों में कितनी कमी आई है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यालयों में नामित समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे पूर्व वर्षों में (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक) ऑफलाइन प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों की संख्या पोर्टल पर निर्मित नवीन मैन्यू OFFLINE RTI DATA में तत्काल अंकित की जाए तथा वर्तमान वर्ष में भी प्रत्येक माह प्राप्त हो रहे आरटीआई आवेदनों एवं प्रथम अपीलों की संख्या भी पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHAT RAWATH"
Date: 07-08-2024 17:56:52
प्रमुख सचिव।

JC (जनसूचना)

अपर आयुक्त (प्रशा०)
12-8-2024

306

संख्या- सी०एम०-23/43-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2024

विषय- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों हेतु विकसित किए गए वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर विभागाध्यक्ष कार्यालयों के मण्डल/जनपद/ तहसील/विकास खण्ड स्तर में नामित जन सूचना अधिकारियों का विवरण अद्यतन किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र सं०-841/चौंतीस-लो०शि०अनुभाग-5/2024, दिनांक 30 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। वर्तमान में उक्त पोर्टल पर विभागों के मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों के समक्ष ऑनलाइन आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने हेतु आवेदकों को सम्बन्धित विभाग के निदेशालय स्तर पर नामित समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन करना होता है। तत्पश्चात नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों/ प्रथम अपीलों को अपने अधीनस्थ जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अग्रसारित किया जाता है। इस व्यवस्था के दृष्टिगत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों को मण्डल/जनपद स्तर पर नामित जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है जिस कारण आवेदकों तक सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं पहुंच पा रही है तथा निदेशालय स्तरीय नोडल अधिकारियों पर अनवाश्यक कार्य की अधिकता भी हो रही हैं। तत्क्रम में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि आवेदकों द्वारा उक्त पोर्टल पर सीधे मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर नामित जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

3- निदेशालयों के नोडल जन सूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर अपडेशन मैन्यू के माध्यम से मण्डल/जनपद स्तर पर जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सृजित किए गए हैं। मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा वर्तमान में आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के होम पेज पर मैन्यू बटन का विकल्प दिया गया है जिसमें निदेशालय/मुख्यालय स्तर पर नामित समन्वय जन सूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर लॉगइन करने के उपरान्त मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर नामित जन सूचना अधिकारियों का विवरण PIO DETAILS पर क्लिक कर पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है। अद्यतन किए गए समस्त जन सूचना अधिकारियों का विवरण परीक्षण हेतु Excel Sheet पर डाउनलोड किए जाने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मण्डल/जनपद/ तहसील/विकास खण्ड स्तर पर नामित जन सूचना अधिकारियों का विवरण पोर्टल पर अद्यतन करने का कष्ट करें जिससे कि मा० मुख्यमंत्री जी को प्रगति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 09-08-2024 16:42:34

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तद्दैव।</u>

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय/मुख्यालय स्तर पर नामित समन्वय जन सूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर लॉगइन करने के उपरान्त मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर नामित समस्त जन सूचना अधिकारियों का विवरण PIO DETAILS (छायाप्रति संलग्न) पर क्लिक कर अद्यतन करें तथा 02 सप्ताह के भीतर प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय ईमेल आई०डी०- ard092156@gmail.com पर इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें कि कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। विवरण अद्यतन किए जाने में यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो हेल्पलाइन नं०- (0522-7118629) तथा किसी भी कार्य दिवस में दरबारी लाल शर्मा भवन, उ०प्र० सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय में तकनीकी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकते हैं।

आज्ञा से,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 09-08-2024 16:45:30

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या- सी०एम०-27/43-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः08 अगस्त, 2024

विषय- **सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु विकसित किए गए वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों का निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण किया जाना तथा समन्वय जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के विवरण को अद्यतन किया जाना।**

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र सं०-864/चौंतीस-लो०शि०अनुभाग-5/2024, दिनांक 01 अगस्त, 2024 (छायाप्रति संलग्न) व प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल **https://rtionline.up.gov.in** विकसित किया गया है। आर०टी०आई० वेब पोर्टल के प्रभावी संचालन हेतु वेब पोर्टल पर कुल ऑनलाइन हुए 528 लोक प्राधिकरणों में प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों के निस्तारण की उच्च स्तरीय समीक्षा दिनांक 31 जुलाई, 2024 को की गई। जिसकी रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न है। कतिपय लोक प्राधिकरणों में समन्वय जन सूचना अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् प्रतिस्थानीय समन्वय जन सूचना अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विवरण को वेब पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया जाता है जिसके कारण नागरिकों द्वारा अनवरत शिकायतें दर्ज कराई जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने कार्यालय तथा नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष कार्यालयों में नामित समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त वेब पोर्टल पर प्राप्त हो रहे ऑनलाइन आर०टी०आई० आवेदनों/प्रथम अपीलों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कराते हुए संलग्न रिपोर्ट के अनुसार अद्यतन कार्य प्रारम्भ नहीं करने वाले समन्वय जन सूचना अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के कारण समन्वय जन सूचना अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के परिवर्तित होने पर नवीन अधिकारी की सूचना तत्काल पोर्टल पर उपलब्ध मैन्यू UPDATE PIO DETAILS में अपडेट की जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 08-08-2024 12:11:29

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या- मु०स०-37/43-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र ना यक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 08 अगस्त, 2024

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों हेतु विकसित किए गए वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पत्र सं०-842/चौंतीस-लो०शि०अनुभाग-5/2024, दिनांक 30 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) तथा प्रशासनिक सुधार अनु०-2 के पत्र संख्या- सी०एम०- 09/43-2-2022, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 व पत्र संख्या- सी०एम०- 01/43-2-2023, दिनांक 16 जनवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल **https://rtionline.up.gov.in** विकसित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हो रहे आवेदनों/प्रथम अपीलों की उच्च स्तर पर की गई समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन आर०टी०आई० आवेदनों/प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है जिसके कारण विकसित किए गए वेब पोर्टल का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वेब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। उक्त पत्र में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा आर०टी०आई०ऑनलाइन पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने तथा राज्य सरकार के समस्त विभागों के विभागीय पोर्टलों/वेबसाइटों पर आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल **https://rtionline.up.gov.in** का लिंक प्रदर्शित कराए जाने की कार्यवाही 02 सप्ताह में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

3- मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रशासनिक सुधार अनु०-2 के उक्त पत्रों में यह निर्देश दिए गए थे कि विभागों/लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के उत्तर देते समय इस बात का अवश्य उल्लेख किया जाए कि **"उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जन सूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"**

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 08-08-2024 12:12:42

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।